



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229221
CG-DL-E-26082021-229221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 477]
No. 477]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

ड्रोन नियम, 2021

सा.का.नि. 589(अ).—ड्रोन नियम, 2021 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मानव-रहित वायुयान प्रणाली नियम, 2021 के अधिक्रमण में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 489(अ), तारीख 15 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 15 जुलाई, 2021 को वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षा के अनुसार, इनसे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की ओर से विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

और, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, धारा 10 की उपधारा (2), और धारा 10क, धारा 10ख और धारा 12क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

भाग I**प्रारंभिक**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ड्रोन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना—(1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे, —

(क) भारत में किसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले या इसके पट्टे पर देने, प्रचालन, अन्तरण या रखरखाव में लगे सभी व्यक्तियों पर;

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी मानव-रहित वायुयान प्रणालियों पर; और

(ग) तत्समय भारत में या भारत के ऊपर प्रचालित की जा रही सभी मानव-रहित वायुयान प्रणालियों पर।

(2) 500 किलोग्राम से अधिक, अधिकतम समग्र भार वाले किसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली के मामले के सिवाय, वायुयान नियम, 1937 के उपबंध, मानव-रहित वायुयान प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।

(3) ये नियम भारत संघ की नौसेना, थलसेना या वायुसेना से संबंधित या उनके द्वारा प्रयुक्त किसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।

3. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "दुर्घटना" से, किसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली के प्रचालन से संबद्ध कोई दुर्घटना अभिप्रेत है, जिसमें कोई व्यक्ति घातक या गंभीर रूप से घायल हो जाता है या मानव-रहित वायुयान प्रणाली को अत्यधिक क्षति पहुंचती है या मानव-रहित वायुयान प्रणाली गुम हो जाती है या पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो जाती है;

(ग) "वायुयान" से वायु से, भारी ऊर्जा-चालित वायुयान अभिप्रेत है, जो अपनी उड़ान मुख्यतः भूतलों पर एयरोडायनेमिक प्रतिक्रियाओं से संचालित करता है जो उड़ान की दी गई स्थितियों के अधीन नियत रहता है;

(घ) "प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन" से, नियम 39 के अधीन प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई भी संगठन अभिप्रेत है;

(ङ.) "प्राधिकृत परीक्षण निकाय" से, महानिदेशक या भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा टाइप प्रमाणीकरण के लिए, मानव-रहित वायुयान प्रणाली का परीक्षण करने के प्रयोजन से प्राधिकृत कोई इकाई अभिप्रेत है;

(च) "संविदाकारी राज्य" का अर्थ किसी भी देश से है जो 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय का एक पक्षकार है;

(छ) "डिजिटल स्काई प्लेटफार्म" से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा भारत में मानव-रहित वायुयान प्रणाली गतिविधियों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए होस्ट किया गया ऑनलाइन प्लेटफार्म अभिप्रेत है;

- (ज) "महानिदेशक" से, अधिनियम की धारा 4क के अधीन नियुक्त नागर विमानन का महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (झ) "ड्रोन" से कोई मानव-रहित वायुयान प्रणाली अभिप्रेत है;
- (ञ) "ड्रोन पावती संख्या" से, भारत में मानव-रहित वायुयान प्रणाली के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के अधीन डिजिटल स्काई प्लेटफार्म द्वारा जारी विशिष्ट संख्या अभिप्रेत है;
- (ट) "जियो-फेंसिंग" से किसी परिभाषित वायुक्षेत्र के भीतर मानव-रहित वायुयान प्रणाली के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाना अभिप्रेत है;
- (ठ) "ग्रीन जोन" से, भूमिक्षेत्र या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र से 400 फुट या 120 मीटर की उर्ध्वाधर (vertical) दूरी तक के वायुक्षेत्र, जिसे मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालनों के लिए वायुक्षेत्र के मानचित्र में रेड जोन या येलो जोन के रूप में नामित नहीं किया गया है और किसी प्रचालनिक हवाईअड्डे की परिधि से 8 किमी और 12 किमी की क्षैतिज (lateral) दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फुट या 60 मीटर के वायुक्षेत्र में स्थित है:
- "येलो जोन" का अर्थ भारत के भूमि क्षेत्रों या प्रादेशिक जल के ऊपर परिभाषित आयामों के हवाई क्षेत्र से है, जिसके भीतर मानव-रहित विमान प्रणाली परिचालन प्रतिबंधित है, और इसके लिए संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी। विनिर्दिष्ट ग्रीन जोन में 400 फीट या 120 मीटर से ऊपर का हवाई क्षेत्र और एक परिचालन हवाई अड्डे की परिधि से 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच स्थित क्षेत्र में 200 फीट या 60 मीटर से ऊपर के हवाई क्षेत्र को येलो जोन के रूप में नामित किया जाएगा ;
- "रेड जोन" का अर्थ है भारत के भूमि क्षेत्रों या क्षेत्रीय जल के ऊपर, या भारत के क्षेत्रीय जल से परे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई स्थापना या अधिसूचित बंदरगाह सीमा में परिभाषित आयामों का हवाई क्षेत्र, जिसके भीतर केंद्र सरकार द्वारा मानव-रहित विमान प्रणाली संचालन की अनुमति होगी;
- (ड) "हार्डब्रिड मानव-रहित वायुयान" से, वायु से अधिक भारी मानव-रहित वायुयान अभिप्रेत है जो वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग में सक्षम हो, जो कि सैद्धांतिक रूप से इन उड़ानों के दौरान लिफ्ट के लिए ऊर्जा-चालित लिफ्ट उपकरणों या इंजन थ्रस्ट पर तथा क्षैतिज उड़ान के दौरान लिफ्ट के लिए नान-रोटेटिंग एयरफायल पर निर्भर करता है;
- (ढ) "संविदाकारी राज्य" से, ऐसा कोई देश अभिप्रेत है जो तारीख 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय का पक्षकार है;
- (ण) "मॉडल रिमोटली पायलेटेड वायुयान प्रणाली" से, केवल शैक्षणिक, अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण या मनोरंजन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त और विजुअल लाइन ऑफ साइट के भीतर प्रचालित 25 किलोग्राम से अनधिक समग्र भार वाला रिमोटली पायलेटेड वायुयान प्रणाली अभिप्रेत है;
- (त) "प्रचालक" से, एक मानव-रहित वायुयान प्रणाली वाले प्रचालन में नियोजित या नियोजित होने की प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) “व्यक्ति” के अंतर्गत कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का समूह, व्यष्टियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, कोई विधिक निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या इनकी कोई इकाई शामिल हैं;

(द) “प्रोटोटाइप मानव-रहित वायुयान प्रणाली” से, कोई मानव-रहित वायुयान प्रणाली अभिप्रेत है, जिसे अनुसंधान और विकास के प्रयोजन से या उडनयोग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विकसित किया गया है;

(ध) “भारतीय गुणवत्ता परिषद” से, भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से, राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना स्थापित और प्रचालित करने और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए गठित स्वायत्त निकाय अभिप्रेत है;

(न) “रेड जोन” से, भारत के भूक्षेत्र या राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र के बाहर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थापना या अधिसूचित पत्तन सीमाओं के ऊपर का परिभाषित आयामों वाला वायुक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा असाधारण परिस्थितियों में मानव-रहित वायुयान प्रणाली के प्रचालन की अनुमति दी जाएगी;

(प) “रिमोट पायलट” से, प्रचालक द्वारा किसी मानव-रहित वायुयान के प्रचालन के लिए अनिवार्य कर्तव्यों सहित प्रभारित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जो उड़ान समय के दौरान उड़ान नियंत्रणों को यथा समीचीन, हाथ में लेता और संचालित करता है;

(फ) “रिमोट पायलट लाइसेंस” से महानिदेशक द्वारा नियम 34 के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ब) “रिमोट पायलट स्टेशन” से रिमोट द्वारा पायलट किए जा रहे वायुयान को पायलट करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को समाविष्ट करने वाली रिमोट द्वारा संचालित वायुयान प्रणाली का घटक अभिप्रेत है;

(भ) “रिमोट द्वारा संचालित वायुयान” से ऐसा कोई मानव-रहित वायुयान अभिप्रेत है, जिसे किसी रिमोट पायलट स्टेशन से संचालित किया जाता है;

(म) “रिमोट संचालित वायुयान प्रणाली” से, रिमोट पायलट स्टेशन से सहयुक्त रिमोटली पायलेटेड वायुयान को अपेक्षित कमांड और कंट्रोल लिंक्स तथा टाईप डिजाइन में विनिर्दिष्ट अन्य अवयव अभिप्रेत हैं;

(य) “रोटरक्राफ्ट” से, मूलतः ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या अधिक शक्ति चालित रोटार पर हवा की प्रतिक्रियाओं द्वारा उड़ान में समर्थित वायु से अधिक भारी वायुयान अभिप्रेत है;

(यक) “टाइप प्रमाण-पत्र” से, महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि किसी विनिर्दिष्ट प्रकार की मानव-रहित वायुयान प्रणाली, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती हो;

(यख) “मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रकार” से, उन उपांतरों के सिवाय, जिसके परिणामस्वरूप हैंडलिंग या उड़ान विशेषताओं में परिवर्तन होता है, सभी उपांतरों के साथ एक ही मूल डिजाइन की सभी मानव-रहित वायुयान प्रणालियां अभिप्रेत हैं;

(यग) “विशिष्ट पहचान संख्या” से, भारत में किसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए जारी किया गया विशेष पहचान संख्या अभिप्रेत है;

(यघ) “मानव-रहित वायुयान प्रणाली” से, कोई ऐसा वायुयान अभिप्रेत है, जो स्वायत्त रूप से उड़ान भर सकता है या जिन्हें उड़ान में बिना किसी पायलट के प्रचालित किया जा सकता है;

(यड) “मानव-रहित वायुयान प्रणाली यातायात प्रबंधन प्रणाली” से, ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है, जो मानव-रहित वायुयान यातायात के संरक्षित और त्वरित प्रवाह के लिए यातायात प्रबंधन मुहैया कराती है और व्यक्तियों, सूचना, प्रौद्योगिकी, सुविधाओं और सेवाओं के, सहयोगी एकीकरण के माध्यम से मानवयुक्त तथा मानव-रहित वायुयान के बीच टकराव से बचाती है;

(यच) “येलो जोन” से, भारत के भूक्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर परिभाषित आयामों वाला वायुक्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रचालन प्रतिबंधित है और जिसके लिए संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकारी की ओर से अनुमति अपेक्षित होगी।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु वायुयान अधिनियम, 1934 और वायुयान नियम, 1937 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम या नियमों में हैं।

भाग II

मानव-रहित वायुयान प्रणाली का वर्गीकरण

4. मानव-रहित वायुयान प्रणाली का वर्गीकरण – (1) मानव-रहित वायुयान प्रणाली को निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) एयरोप्लेन;

(ख) रोटारक्राफ्ट;

(ग) हाईब्रिड मानव-रहित वायुयान प्रणाली।

(2) एयरोप्लेन, रोटारक्राफ्ट और हाईब्रिड मानव-रहित वायुयान प्रणालियों को आगे निम्नानुसार उप-वर्गीकृत किया जाएगा-

(क) रिमोट द्वारा संचालित वायुयान प्रणाली ;

(ख) रिमोट द्वारा संचालित मॉडल वायुयान प्रणाली; और

(ग) स्वायत्त मानव-रहित वायुयान प्रणाली ।

5. मानव-रहित वायुयान प्रणालियों का वर्गीकरण — मानव-रहित वायुयान प्रणालियों को पेलोड सहित उनके अधिकतम समग्र भार के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

(क) अति सूक्ष्म मानव-रहित वायुयान प्रणाली: 250 ग्राम से कम या बराबर;

(ख) सूक्ष्म मानव-रहित वायुयान प्रणाली: 250 ग्राम से अधिक किन्तु 2 किलोग्राम से कम या बराबर;

(ग) लघु मानव-रहित वायुयान प्रणाली: 2 किलोग्राम से अधिक किन्तु 25 किलोग्राम से कम या बराबर;

(घ) मध्यम मानव-रहित वायुयान प्रणाली: 25 किलोग्राम से अधिक किन्तु 150 किलोग्राम से कम या बराबर; तथा

(ङ.) विशाल मानव-रहित वायुयान प्रणाली: 150 किलोग्राम से अधिक।

भाग III

मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रमाणन

6. साधारण - कोई भी व्यक्ति भारत में मानव-रहित वायुयान का प्रचालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसी मानव-रहित विमान प्रणाली, टाईप प्रमाणपत्र के अनुरूप न हो या इन नियमों के अधीन इसे, टाईप प्रमाणपत्र की अपेक्षा से छूट प्राप्त न हो।

7. प्रमाणन मानक - केंद्रीय सरकार, भारतीय गुणवत्ता परिषद की सिफारिश पर मानव-रहित वायुयान प्रणालियों के लिए टाईप प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मानकों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे मानक निम्नलिखित प्रयोग को संवर्धित कर सकते हैं-

(क) भारत में निर्मित प्रौद्योगिकी, डिजाइन, घटकों और मानव-रहित वायुयान प्रणालियों; और

(ख) भारतीय कॉन्स्ट्रक्शन नैविगेशन नामक भारत की क्षेत्रीय दिक्चालन उपग्रह प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा दे सकेंगे।

8. टाईप प्रमाणन - महानिदेशक या इस संबंध में महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई इकाई, भारतीय क्वालिटी परिषद या कोई प्राधिकृत इकाई की सिफारिश पर, किसी विशेष प्रकार के मानव-रहित वायुयान के लिए टाईप प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

9. आवेदन और टाईप प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया - (1) कोई भी व्यक्ति, जो टाईप प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहता है, उसे नियम 46 में विनिर्दिष्ट शुल्क सहित, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर प्ररूप डी-1 के माध्यम से आवेदन करना होगा, और उसे, उसमें निम्नलिखित सूचना प्रदान करनी होगी:

(क) आवेदक का विवरण;

(ख) उसमें यथा विनिर्दिष्ट प्रोटोटाईप मानव-रहित वायुयान प्रणाली के संबंध में विवरण और अपेक्षित दस्तावेज; और

(ग) उसमें यथा विनिर्दिष्ट प्रोटोटाईप मानव-रहित वायुयान प्रणाली, जिसे भौतिक रूप से प्राधिकृत परीक्षण इकाई को सौंपा जाएगा।

(2) भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) या अधिकृत परीक्षण इकाई, प्रस्ताव की परीक्षा करेगी और आवेदन प्राप्त होने की तारीख के साठ दिवस के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ परीक्षण रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी।

(3) महानिदेशक, उप नियम (2) के अधीन सिफारिशों के साथ प्राप्त हुई परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समाधान होने पर, ऐसी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिवस के भीतर, आवेदक को विशिष्ट प्रकार के मानव-रहित वायुयान प्रणाली के लिए एक टाईप प्रमाणपत्र जारी करेंगे।

10. विदेशी नियामकों द्वारा दिए गए अनुमोदनों की स्वीकृति - महानिदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे संविदाकारी राज्यों द्वारा अनुदत्त स्वकृती के आधार पर किसी प्रकार की मानव-रहित वायुयान प्रणाली को, उस प्रकार की मानव-रहित वायुयान प्रणाली के लिए टाईप प्रमाणन जारी कर सकेगा।

11. आयात - मानव-रहित वायुयान के आयात को, विदेश व्यापार महानिदेशालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई द्वारा विनियमित किया जाएगा।

12. आज्ञापक सुरक्षा विशेषताएं - (1) केंद्रीय सरकार, किसी मानव-रहित वायुयान के स्वामी द्वारा उस पर संस्थापित की जानी वाली सुरक्षा विशेषताओं को, अधिसूचित करेगी, जिसमें अन्य विशेषताओं के साथ निम्नलिखित विशेषताएं सम्मिलित हो सकती हैं, अर्थातः--

(क) 'नो परमीशन - नो टेकऑफ' हार्डवेयर और फर्मवेयर;

(ख) रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन जो मानव-रहित वायुयान प्रणाली के स्थान, ऊंचाई, गति और विशिष्ट पहचान संख्या को संसूचित करेगा; तथा

(ग) जियो फेंसिंग क्षमता।

(2) मानव-रहित वायुयान पर स्वामित्व रखने वाले सभी व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, जो प्रकाशन की तारीख से छह मास से कम नहीं होगी, जैसा केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित सुरक्षा विशेषताओं को अंगीकृत करेंगे।

13. कतिपय मामलों में टाईप प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने से छूट - निम्नलिखित के विनिर्माण, आयात या प्रचालन के लिए, किसी टाईप प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी -

(क) मॉडल रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट प्रणाली; और

(ख) नैनो मानव-रहित वायुयान प्रणाली।

भाग IV

मानव-रहित वायुयान प्रणाली का रजिस्ट्रीकरण

14. साधारण - (1) कोई भी व्यक्ति किसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पहले रजिस्ट्रीकृत और विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त किए बिना प्रचालन नहीं करेगा, जब तक कि इन नियमों के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या की अपेक्षा से छूट नहीं मिली हुई हो।

(2) ऐसी सभी मानव-रहित वायुयान प्रणालियों का रजिस्ट्रीकृत अभिलेख महानिदेशक द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा, जिन्हें इन नियमों के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है।

(3) यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, मानव-रहित वायुयान प्रणाली को प्रचालित करने वाले व्यक्ति की होगी कि ऐसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली विधिमान्य टाईप प्रमाणपत्र के अनुरूप हो।

15. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और प्रक्रिया - (1) कोई व्यक्ति जो मानव-रहित वायुयान प्रणाली को रजिस्ट्रीकृत कराने और विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने का आशय रखता है, नियम 46 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर प्ररूप डी-2 में आवेदन करेगा और अपेक्षित विवरण जिसके अंतर्गत टाईप प्रमाणपत्र की जो मानव-रहित वायुयान प्रणाली अनुरूप है, विशिष्ट संख्या भी, प्रदान करेगा।

(2) डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इस विवरण का सत्यापन करेगा और आवेदक को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा।

(3) मानव-रहित वायुयान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या को, निर्माता द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट क्रम संख्या और उसके उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल और रिमोट पायलेट स्टेशन की विशिष्ट क्रम संख्या से लिंक किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर नए फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल या रिमोट पायलेट स्टेशन की विशिष्ट क्रम संख्या को ऐसे प्रतिस्थापन की तारीख से सात दिवस की अवधि के भीतर अथवा इस प्रकार की मानव-रहित वायुयान प्रणाली को प्रचालित करने से पहले, जो भी पहले हो अपडेट किए बिना, मानव-रहित वायुयान प्रणाली के फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल या रिमोट पायलेट स्टेशन को नहीं बदलेगा, जिसकी क्रम संख्या, ऐसे मानव-रहित वायुयान की विशिष्ट पहचान संख्या से लिंक है।

16. विद्यमान मानव-रहित वायुयान प्रणालियों का रजिस्ट्रीकरण – (1) तारीख 30 नवंबर 2021 को या उससे पहले भारत में विनिर्मित या भारत में आयात किए गए मानव-रहित वायुयान पर स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति, उक्त तारीख के इकतीस दिनों की अवधि के भीतर, नियम 46 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर प्ररूप डी-2 में अपेक्षित विवरण प्रदान करके रजिस्टर कराने और विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए इस विवरण का सत्यापन करेगा और आवेदक को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करेगा, यदि --

(क) मानव-रहित वायुयान प्रणाली के पास उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख या पर उसके पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म द्वारा जारी एक विधिमान्य ड्रोन पावती संख्या हो;

(ख) मानव-रहित वायुयान प्रणाली के पास, मानव-रहित वायुयान प्रणाली के लिए माल और सेवा कर संदत्त किए जाने का बिल हो; और

(ग) मानव-रहित वायुयान की यह प्रणाली, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर महानिदेशक द्वारा प्रकाशित मानव-रहित वायुयान प्रणालियों की सूची का हिस्सा हो।

17. मानव-रहित वायुयान प्रणालियों का अंतरण – (1) कोई व्यक्ति, नियम 46 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर डी-3 प्ररूप में, अंतरक, अंतरिती और मानव-रहित वायुयान प्रणाली की विशिष्ट पहचान संख्या का अपेक्षित विवरण देने के पश्चात्, किसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, पट्टा, उपहार या किसी अन्य रीति से अंतरण कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अंतरण, महानिदेशक द्वारा अनुरक्षित रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में प्रभावी होंगे और अंतरक, अंतरिती तथा विशिष्ट पहचान संख्या के इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन के पश्चात्, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर संव्यवहार संख्या जनित होगी।

18. मानव-रहित वायुयान प्रणालियों का डी-रजिस्ट्रीकरण – (1) जहां किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रीकृत कोई मानव-रहित वायुयान प्रणाली स्थायी रूप से खो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है, वहां उसका स्वामी, उसके खोने या क्षतिग्रस्त होने के युक्तियुक्त निष्कर्ष पर पहुंचने पर, नियम 46 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क के साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को डी-3 प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करके, ऐसी मानव-रहित वायुयान प्रणाली के विरजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विरजिस्ट्रीकरण, महानिदेशक द्वारा अनुरक्षित रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में प्रभावी होंगे और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उनकी संव्यवहार संख्या जनित होगी।

भाग V

मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रचालन

19. **एयरस्पेस मैप**—केंद्रीय सरकार, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के तीस दिवस के भीतर, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर, मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालन के लिए एक हवाई क्षेत्र का नक्शा, जो भारत के पूरे हवाई क्षेत्र को 10 मीटर या इससे स्पष्ट (फाइन) हॉरिजान्टल रेसोल्यूशन के साथ, लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में विभक्त करता है, प्रकाशित कर सकती है।
20. **इंटर-एक्टिव मैप्स** – मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र का नक्शा, एक मशीन रीडेबल एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और इंटर-एक्टिव के माध्यम से प्रोग्रामेटिक रूप से सुलभ होने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे मानव-रहित वायुयान प्रणाली पायलट, अपनी प्रस्तावित उड़ान योजना का आधार तैयार कर सके और आसानी से उस क्षेत्र की पहचान कर सकें, जिसके भीतर यह आता है जिससे यह आकलन किया जा सके कि उन्हें पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है या नहीं।
21. **क्षेत्रीय निर्बंधनों का, उड़ान-पूर्व आज्ञापक सत्यापन** – मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालन शुरू करने से पहले, रिमोट पायलट को, प्रचालन के इच्छित क्षेत्र में मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालन के लिए लागू किसी भी अधिसूचना या निर्बंधन की जानकारी के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से आज्ञापक रूप से सत्यापित कराना होगा।
22. **पूर्व अनुमति की आवश्यकता** – (1) कोई भी व्यक्ति, पूर्व अनुमति के बिना रेड जोन या येलो जोन में मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रचालन नहीं करेगा।
(2) नियम 21 के प्रावधानों के अधीन ग्रीन जोन में मानव-रहित वायुयान प्रणाली के प्रचालन के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
23. **जोनिंग की गतिशील प्रकृति** – केंद्रीय सरकार, किसी क्षेत्र की स्थिति को एक क्षेत्र से दूसरे में बदलने के लिए, समय-समय पर मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालन के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हवाई क्षेत्र के नक्शे को अपडेट कर सकेगी और इस तरह का कोई भी परिवर्तन इस तरह के अपडेट की तारीख के सात दिवस बाद ही प्रभावी होगा।
24. **अस्थायी रेड जोन** – (1) यदि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मानव-रहित वायुयान प्रणाली उड़ानों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की तत्काल आवश्यकता है, तो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या विधि प्रवर्तन अभिकरण, इसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिसूचित करके और हवाई क्षेत्र के नक्शे पर हाईलाइट करके, ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्र में एक समय में छियानवे घंटे से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकेंगे।
(2) अस्थायी रेड जोन की घोषणा, ऐसे किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो पुलिस अधीक्षक या उसके समतुल्य स्तर से नीचे की पंक्ति का न हो। ऐसा अधिकारी, अस्थायी रेड जोन के आकार को युक्तियुक्त रखने का प्रयास करेगा, न कि बढ़ाने का।
(3) उपनियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार घोषित किए गए प्रतिबंधों के संबंध में अस्थायी रेड जोन की परिधि से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर विशिष्ट पहचान संख्या के धारकों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होना, एक मानव-रहित वायुयान पायलट को एक मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालन शुरू करने से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय प्रतिबंधों को सत्यापित करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।
25. **डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तक पहुँच** –राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और कानून प्रवर्तन अधिकरण के नोडल अधिकारियों को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुँच प्रदान की जाएगी।

- 26. सुरक्षित प्रचालन** - कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रीति में मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रचालन नहीं करेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति या संपत्ति की संरक्षा और सुरक्षा को खतरा हो।
- 27. हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों, सैन्य भंडारणों आदि के ले जाने पर प्रतिबंध-** कोई भी व्यक्ति, किसी भी मानव-रहित वायुयान प्रणाली में भारत से/भारत के लिए, भारत के भीतर या उसके ऊपर, युद्ध के किसी भी हथियार, गोला-बारूद, युद्ध सामग्री, युद्ध के उपकरण, विस्फोटक और सैन्य भंडार, को केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की लिखित अनुज्ञा के सिवाय और ऐसी अनुमति के निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए न तो लेकर जाएगा और न ही इसके लिए अनुमति देगा।
- 28. खतरनाक माल का वहन-** कोई भी व्यक्ति मानव-रहित वायुयान पर खतरनाक सामान नहीं ले जाएगा, जब तक कि ऐसा प्रचालन, विमान (जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई) नियम, 2003 के अनुपालन में न हो।
- 29. मार्ग का अधिकार** - मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति, मानवयुक्त वायुयान के मार्ग के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।
- 30. दुर्घटना की अनिवार्य रिपोर्टिंग** - मानव-रहित वायुयान प्रणाली से जुड़ी दुर्घटना के अड़तालीस घंटे के भीतर, ऐसे मानव-रहित वायुयान प्रणाली का रिमोट पायलट, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से महानिदेशक को दुर्घटना की रिपोर्ट करेगा।

भाग VI

रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति

- 31. सामान्य.** - डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध, वैध रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति धारक के अतिरिक्त कोई भी सामान्य व्यक्ति मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रचालित नहीं करेगा।
- 32. वर्गीकरण.** - रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति में विशेष रूप से मानव-रहित वायुयान प्रणाली के वर्ग, उप-वर्ग और श्रेणी या इनके संयोजन जिनके लिए यह जारी की गई है उल्लिखित होंगे।
- 33. पात्रता.** - कोई व्यक्ति रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होगा यदि हो:
- (क) जिसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो;
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हों; और
- (ग) किसी मान्यताप्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन से, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ऐसा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा चुका हो।
- 34. रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया** - (1) कोई व्यक्ति जो मानव रहित विमान प्रणाली या उसके संयोजन के किसी प्रवर्ग, उपप्रवर्ग या वर्ग के लिए रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वह ऐसे प्रवर्ग, उपप्रवर्ग या वर्ग के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण पूरा करेगा और प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन प्रशिक्षण और परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के सात दिनों के भीतर उन व्यक्तियों के जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन नियम, 46 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर प्ररूप डी-4 में रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा।
- (3) व्यक्ति जिसके संबंध में उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन द्वारा आवेदन किया गया है तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी।

(4) महानिदेशक उपनियम (3) के अधीन रिमोट पायलट प्रमाणपत्र के जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति जारी करेगा।

35. अनुज्ञप्ति की वैधता. – कोई रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति -

(क) तभी मान्य होगा जब वह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो।

(ख) जब तक कि निलंबित अथवा रद्द न कर दिया गया हो, दस वर्ष की अवधि के लिए वैध रहता है।

(ग) नियम 46 में यथाविनिर्दिष्ट फीस को संदाय किए जाने पर महानिदेशक द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए दस वर्षों की अवधि के अध्याधीन नवीकृत किया जा सकता है:

परन्तु रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति धारक ऐसे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूरा करेगा जो समय-समय पर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

36. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट – किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी जो –

(क) नैनो मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रचालन कर रहा हो; और

(ख) गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए माइक्रो मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रचालन कर रहा हो।

भाग VII

रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन

37. सामान्य – प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन के अलावा कोई व्यक्ति, रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकता।

38. पात्रता – किसी रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन को तब तक प्रशिक्षण देने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह महानिदेशक द्वारा निर्धारित पात्रता के सभी मापदंडों को पूरा नहीं कर लेता है।

39. प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया – (1) कोई भी व्यक्ति जो रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए प्राधिकार की मांग कर रहा है, वह, नियम 46 में निर्दिष्ट सेवा शुल्क के साथ डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर प्ररूप घ-5 में महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) महानिदेशक, उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के अवधि के भीतर आवेदक को, ऐसे, रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए प्राधिकार जारी कर सकेगा यदि उसे समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसे रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट मापदंड और अपेक्षाएं पूरी करता है।

40. वैधता – रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना करने हेतु प्रदान किया गया प्राधिकार, जब तक कि निलंबित या रद्द न कर दिया गया हो, दस वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा और नियम 46 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, एक समय में दस वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्याधीन, नवीनीकृत किया जा सकेगा।

41. प्रशिक्षण अपेक्षाएँ – (1) प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, अवसंरचना, अनुदेशकों, दक्षता परीक्षण और रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के संबंध में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर महानिदेशक विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के साथ सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण अपेक्षाएँ, मानव-रहित वायुयान प्रणाली के प्रवर्ग, उपप्रवर्ग और वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट होगी।

भाग VIII

अनुसंधान, विकास और परीक्षण

42. अनुसंधान, विकास और परीक्षण के लिए मानव-रहित विमान प्रणाली प्रचालन – निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुसंधान, विकास और परीक्षण उद्देश्यों के लिए मानव-रहित विमान प्रणालियों के प्रचालन हेतु टाइप प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति तथा रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में या उनसे मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्था;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में या उनसे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था;

(ग) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप;

(घ) कोई प्राधिकृत परीक्षण संस्था; और

(ङ) कोई भी मानव-रहित वायुयान प्रणाली निर्माता जिसके पास वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या है:

परन्तु इस तरह के मानव-रहित विमान प्रणाली प्रचालन ग्रीन ज़ोन के भीतर और उस व्यक्ति के परिसर के भीतर हों जहाँ ऐसा अनुसंधान, विकास और परीक्षण किया जा रहा हो; या ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में किसी ग्रीन ज़ोन में खुले क्षेत्र के भीतर हो।

भाग IX

मानव-रहित वायुयान प्रणाली यातायात प्रबंधन

43. मानव-रहित वायुयान प्रणाली यातायात प्रबंधन- (1) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के साठ दिनों की अवधि के भीतर, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर मानव-रहित वायुयान प्रणाली यातायात प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नीतिगत ढांचा प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसा नीतिगत ढांचा इन नियमों के अनुरूप होगा एवं इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित स्वचालित अनुमति सुविधा के अनुसार होगा और जिसमें -

(क) सभी जोनों के भीतर मानव-रहित वायुयान प्रणाली द्वारा सामान के सुरक्षित और निर्बाध अंतरण के लिए गलियारों को विकसित करने के लिए ढांचा; और

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की भूमिकाएं, शक्तियां और उत्तरदायित्व शामिल हैं।

भाग X

बीमा

44. बीमा— (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के उपबंध और इनके अधीन बनाए गए नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित, मानव-रहित विमान प्रणाली के तीसरे पक्षकार बीमा तथा ऐसे मानव-रहित विमान प्रणाली के कारण हुए जीवन या संपत्ति की हानि के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए लागू होंगे।

परन्तु एक नैनो मानव-रहित विमान प्रणाली, तीसरे पक्षकार बीमा के बिना प्रचालित हो सकेगी।

(2) मानव-रहित विमान प्रणाली को प्रचालित करने वाला कोई व्यक्ति, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के प्रचालनों के लिए विशिष्ट तौर से तैयार किए गए बीमा उत्पाद का उपयोग कर सकता है।

भाग XI

मानव-रहित वायुयान प्रणाली को बढ़ावा देना

45. मानव-रहित विमान प्रणाली को बढ़ावा देना – (1) केन्द्रीय सरकार मानव-रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद के गठन के द्वारा मानव-रहित वायुयान प्रणाली को ग्रहण और उपयोग को बढ़ावा दे सकेगी जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी -

(क) स्वचालित अनुमतियों सहित व्यवसाय के अनुकूल विनियामक व्यवस्था का विकास;

(ख) मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इन्क्यूबेटरों और अन्य सुविधाओं की स्थापना;

(ग) नीति सलाह में उद्योग विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी; और

(घ) मानव-रहित वायुयान प्रणाली और विमान प्रणाली प्रौद्योगिकि से जुड़े प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों का आयोजन।

(2) केन्द्रीय सरकार, आर्थिक प्रभाव के आधार पर इन नियमों का मूल्यांकन करने के पश्चात् भारतीय मानव रहित वायुयान प्रणाली सेक्टर की उपलब्धियों का सूचीकरण करते हुए तथा उस सेक्टर में कारबार करने में आसानी के वर्धन हेतु उठाए गए कदमों की एक छह मासिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

भाग XII

प्रकीर्ण

46. फीस—इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए संदेय फीस, उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट होगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	सेवाएं	फीस (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1	प्रकार प्रमाणपत्र जारी करना	100
2	विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना, अंतरण करना या उसका डी-रजिस्ट्रीकरण करना	100
3	रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति जारी करना या उसका नवीनीकरण	100
4	रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन का प्राधिकरण या प्राधिकरण का नवीनीकरण	1,000

टिप्पण : भारत की गुणवत्ता परिषद्, प्राधिकृत परीक्षण इकाईयां तथा प्राधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन, उनके द्वारा इन नियमों के अनुसार दी गई सेवाओं के लिए बाजार सहबद्ध सेवा प्रभार संग्रहित कर सकेंगे।

47. निदेश—जब केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझे तो वह अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों से संगत, मानव रहित वायुयान प्रणालियों से संबंधित साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेगी।

48. छूट देने की साधारण शक्ति—केंद्रीय सरकार, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, या तो पूर्णतः या भागतः इन नियमों के प्रचालन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगी।

49. अपराध, वर्गीकरण और शमनीकरण—(1) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के उल्लंघन में कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 22 तथा नियम 27 का उल्लंघन संज्ञेय और अशमनीय होगा।

(3) इन नियमों के उल्लंघन या उनके अनुपालन में असफलता के लिए किसी भी कार्यवाही के प्रति, यदि ऐसा उल्लंघन या असफलता, कारकों या परिस्थितियों, जो ऐसे किसी व्यक्ति के नियंत्रण से परे या उसके ज्ञान या त्रुटि के बिना मौसमजन्य कठिनाई या अन्य अपरिहार्य कारण या परिस्थिति के कारण होना साबित होने पर प्रतिरक्षा होगी।

(4) इन नियमों के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

50. शास्तियां—जहां सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् महानिदेशक या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों का उल्लंघन किया है या इनके अनुपालन में असफल रहा है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिनियम की धारा 10क के उपबंधों के अनुसार एक लाख रुपए से अनधिक शास्ति उद्गृहीत कर सकेगा।

51. निरीक्षण की शक्ति—महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा इन नियमों तथा अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, किसी मानव रहित वायुयान प्रणाली, किसी संबंधित सुविधा का निरीक्षण कर सकेगा, किसी कार्मिक से वार्तालाप कर सकेगा और किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा।

52. प्राधिकृत व्यक्तियों को बाधा पहुंचाना—कोई व्यक्ति स्वेच्छया इन नियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा।

53. रद्दीकरण या निलंबन—जहां महानिदेशक का, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या उनका अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इन नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, प्राधिकरण या अनुमोदन को रद्द या निलंबित कर सकेगा।

54. कतिपय आदेशों की व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात लोक सुरक्षा के हित में या सभी मानव सहित या मानव रहित वायुयानों के सुरक्षित प्रचालन के लिए जारी किए गए किसी आदेश के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।

55. निरसन और व्यावृत्ति—ऐसे निरसन के पूर्व की गई या करने से लोप की गई बातों के सिवाय, मानव रहित वायुयान प्रणाली नियम, 2021 निरसित किए जाते हैं।

प्ररूप डी-1	
(नियम 9 देखें)	
प्रकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन	
भाग क - व्यक्तिगत ब्यौरे (यदि लागू हो)	
1	पूरा नाम

2	मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)	
3	ईमेल पता	
4	आधार संख्या	
5	भारतीय पासपोर्ट संख्या	
6	स्थायी खाता संख्या (वैकल्पिक)	
7	घरकापता	
भाग ख - संगठन के ब्यौरे (यदि लागू हो)		
8	विनिर्माता का नाम	
9	विनिर्माता का पता	
10	संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
11	जीएसटीआईएन प्रमाणपत्र (वैकल्पिक)	
12	डीआईएन के साथ निदेशक(कों)का नाम	
13	किसी एक निदेशक की आधार संख्या	
14	निदेशक का ई-मेल पता	
15	निदेशक की मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)	
भाग ग - मानव-रहित वायुयान प्रणाली की विशिष्टताएँ और दस्तावेज		
16	मॉडल का नाम	
17	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का वर्गीकरण	<input type="checkbox"/> विमान <input type="checkbox"/> रोटारक्राफ्ट <input type="checkbox"/> हाइब्रिड
18	मानव-रहित वायुयानप्रणाली की उप-श्रेणी	<input type="checkbox"/> आरपीएएस <input type="checkbox"/> मॉडल <input type="checkbox"/> स्वायत्त
19	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का प्रकार	<input type="checkbox"/> नैनो <input type="checkbox"/> सूक्ष्म <input type="checkbox"/> छोटे <input type="checkbox"/> मध्यम <input type="checkbox"/> बड़े

20	उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल की विशिष्टताएँ	
21	रिमोट पायलट स्टेशन की विशिष्टताएँ	
22	किलोग्राम में अधिकतम कुल भार (पेलोड सहित)	
23	मि.मी. में कुल आयाम (लंबाईXचौड़ाईXऊँचाई)	
24	विवरण	
25	संगत पेलोड के ब्यौरे	
26	परिवर्तनीय भार/उपभोग्य वस्तुएं (जैसे द्रव आदि, यदि कोई हो)	
27	इंजन/मोटर	
28	पावर रेटिंग	
29	इंजनों/मोटरों की संख्या	
30	कुल ईंधन क्षमता (किलोग्राम)/बैटरी क्षमता (एमएएच)	
31	प्रोपेलर ब्यौरे	
32	ग्राउंड नियंत्रण स्टेशन सॉफ्टवेयर संस्करण	
33	फ्रिक्वेंसी बैंड	
34	अधिकतम एन्डुरन्स (घंटा/मिनट)	
35	अधिकतम सीमा (कि.मी. में)	
36	अधिकतम गति (मीटर/सेकंड में)	
37	अधिकतम प्राप्य ऊंचाई/अधिकतम ऊंचाई सीमा(फीट में)	
38	प्रचालनिक ऊंचाई (फीट में)	
39	परिचालन एनवेलप	
40	इंजन की सीमा (अधिकतम आरपीएम)/अधिकतम बैटरी तापमान(°से. में)	
41	प्रोपेलर सीमा	

42	विनिर्माता की परिचालन नियमावली (जैसा लागू हो)	
43	विनिर्माता के रखरखाव दिशानिर्देश (जैसा लागू हो)	
44	रखरखाव निरीक्षण अनुसूची/ओवरहाल अंतराल	
45	मानव-रहित वायुयान प्रणाली की तस्वीरें: 1. फ्रंट व्यू 2. टॉप व्यू	
46	प्राधिकृत परीक्षण संगठन का चयन (डिजिटल स्काइ प्लैटफॉर्म पर ड्रॉपडाउन मेनू से)	
भाग घ - फीस के ब्यौरे		
47	संव्यवहार संख्या	
48	फीस रसीद	

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि इस में दी गई सभी सूचनाएं, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर, मेरे विरुद्ध यथालागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम:

तारीख :

स्थान:

प्ररूप डी-2	
(नियम 15 और 16 देखें)	
विशिष्ट पहचान संख्या के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन	
भाग क - व्यक्ति के ब्यौरे (यदि लागू हो)	
1	पूरा नाम
2	मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)
3	ईमेल पता

4	आधार संख्या	
5	भारतीय पासपोर्ट संख्या	
6	स्थायी खाता संख्या (वैकल्पिक)	
7	घर का पता	
भाग ख – संगठन के ब्यौरे (यदि लागू हो)		
8	संगठन का नाम	
9	संगठन का पता	
10	संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
11	जीएसटीआईएन प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)	
12	निदेशकों के नाम उनके डीआईएन के साथ	
13	किसी एक निदेशक की आधार संख्या	
14	निदेशक का ई-मेल पता	
15	निदेशक की मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)	
भाग ग - मानव-रहित वायुयान प्रणाली विशिष्टताएँ		
16	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का वर्गीकरण	<input type="checkbox"/> विमान <input type="checkbox"/> रोटारक्राफ्ट <input type="checkbox"/> हाइब्रिड
17	मानव-रहित वायुयान प्रणाली की उप-श्रेणी	<input type="checkbox"/> आरपीएस <input type="checkbox"/> मॉडल <input type="checkbox"/> स्वायत्त
18	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का वर्ग	<input type="checkbox"/> नैनो <input type="checkbox"/> सूक्ष्म <input type="checkbox"/> छोटे <input type="checkbox"/> मध्यम <input type="checkbox"/> बड़े
19	विनिर्माता का नाम	
20	मॉडल का नाम	
21	टाइप प्रमाण पत्र की सीरियल संख्या (यदि लागू हो)	
22	विनिर्माता द्वारा प्रदान की गई सीरियल संख्या	
23	उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल की सीरियल संख्या	

24	रिमोट पायल टस्टेशन की सीरियल संख्या	
25	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का चित्र: 1. फ्रंट व्यू 2. टॉप व्यू 3. विनिर्माता की क्रमसंख्या का क्लोज-अप	
26	ड्रोन अभिस्वीकृति संख्या (डीएएन) (यदि लागू हो)	
27	जीएसटी-पेड बिल अपलोड करें (केवल डीएएन धारकों के लिए)	
भाग घ – फीस ब्यौरे		
28	संव्यवहार संख्या	
29	फीस रसीद	

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि इसमें दी गई सभी सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं और यह घोषणा करता हूँ कि मानव-रहित वायुयान प्रणाली प्ररूप (यदि लागू हो) में उल्लिखित प्रकार प्रमाणपत्र के अनुरूप है। मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथालागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम:

तारीख :

स्थान:

प्ररूप डी-3 (नियम 17 और 18 देखें)	
मानव-रहित वायुयान प्रणाली के अंतरण या विरजिस्ट्रीकरण (deregistration) के लिए आवेदन	
भाग क – मानव-रहित वायुयान प्रणाली ब्यौरे	
1	विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)
2	मॉडल का नाम
3	कुल भार
भाग ख – अंतरणकर्ता (Transferor)/ स्वामी के ब्यौरे	
4	व्यक्ति या संगठन का पूरा नाम

5	आधार संख्या (व्यक्ति के लिए)	
6	भारतीय पासपोर्ट संख्या (व्यक्ति विशिष्ट के लिए)	
7	ईमेल पता	
8	आधार से लिंक मोबाइल संख्या	
9	पता	
10	स्थायी खाता संख्या (वैकल्पिक)	
11	जीएसटीआईएन प्रमाणपत्र (वैकल्पिक)	
12	संव्यवहार की प्रकृति	<input type="checkbox"/> अंतरण <input type="checkbox"/> विरजिस्ट्रीकरण (भाग ग छोड़ दें)
13	अंतरण की प्रकृति (यदि लागू हो)	<input type="checkbox"/> विक्रय <input type="checkbox"/> लीज़ <input type="checkbox"/> उपहार <input type="checkbox"/> अन्य
भाग ग - अंतरिती(Transferee) ब्यौरे (यदि लागू हो)		
व्यक्तिगत ब्यौरे (यदि लागू हो)		
14	पूरा नाम	
15	मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)	
16	ईमेल पता	
17	आधार संख्या	
18	भारतीय पासपोर्ट संख्या	
19	स्थायी खाता संख्या (वैकल्पिक)	
20	घर का पता	
संगठन के ब्यौरे (यदि लागू हो)		
21	संगठन का नाम	
22	संगठन का पता	
23	संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
24	जीएसटीआईएन प्रमाणपत्र (वैकल्पिक)	

25	निदेशकों का नाम उनके डीआईएन के साथ	
26	किसी एक निदेशक की आधार संख्या	
27	निदेशक का ई-मेल पता	
28	निदेशक की मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)	
भाग घ – डी-रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे (यदि लागू हो)		
29	विरजिस्ट्रीकरण का कारण	<input type="checkbox"/> स्थायी रूप से नष्ट <input type="checkbox"/> स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त
भाग ड. – फीस ब्यौरे		
30	संव्यवहार संख्या	
31	फीस रसीद	

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि इस में दी गई सभी सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथालागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप डी - 4	
(नियम 34 और 35 देखें)	
रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन (आरपीटीओ द्वारा फाइल किया जाना है।)	
भाग क - व्यक्ति का ब्यौरा	
1	पूरा नाम
2	जन्म तिथि (दिन महीना वर्ष)
3	नवीनतम फोटो
4	आधार संख्या

5	भारतीय पासपोर्ट संख्या	
6	ईमेल पता	
7	फोन संख्या	
8	घर का पता	
भाग ख - प्रशिक्षण ब्यौरे		
9	प्रशिक्षण संगठन का नाम	
10	प्रशिक्षण संगठन का डीजीसीए द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण संख्या	
11	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का वर्ग	<input type="checkbox"/> विमान <input type="checkbox"/> रोटरक्राफ्ट <input type="checkbox"/> हाइब्रिड
12	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का उप-वर्ग	<input type="checkbox"/> आरपीएएस <input type="checkbox"/> मॉडल <input type="checkbox"/> स्वायत्त
13	मानव-रहित वायुयान प्रणाली की श्रेणी	<input type="checkbox"/> नैनो <input type="checkbox"/> सूक्ष्म <input type="checkbox"/> छोटे <input type="checkbox"/> मध्यम <input type="checkbox"/> बड़े
14	आरपीटीओ द्वारा जारी प्रदत्त प्रशिक्षण प्रमाणपत्र संख्या	
भाग ग - फीस ब्यौरे		
15	संव्यवहार संख्या	
16	फीस रसीद	

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि इसमें दी गई सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथालागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम:

तारीख:

स्थान:

<p>प्ररूप डी-5 (नियम 39 और 40 देखें)</p>
<p>रिमोट पायलट प्रशिक्षण के संगठन के प्राधिकरण के लिए आवेदन</p>
<p>भाग क - व्यक्ति या संगठन के प्रमुख के ब्यौरे</p>

1	पूरा नाम	
2	मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)	
3	ईमेल पता	
4	आधार संख्या	
5	भारतीय पासपोर्ट संख्या	
6	स्थायी खाता संख्या (वैकल्पिक)	
7	घर का पता	
भाग ख - संगठन के ब्यौरे		
8	संगठन का नाम	
9	संगठन का पता	
10	संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
11	जीएसटीआईएन प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)	
12	डीआईएन के साथ निदेशक(कों) के नाम	
13	किसी एक निदेशक की आधार संख्या	
14	निदेशक का ई-मेल पता	
15	निदेशक की मोबाइल संख्या (जो आधार से लिंक हो)	
भाग ग – अवसंरचना		
16	भूमि के स्वामित्व या पट्टे के समझौते का प्रमाण	
17	कक्षाओं की संख्या	
18	कक्षाओं का समग्र क्षेत्रफल	
भाग घ - मानव-रहित वायुयान प्रणाली के विशिष्टताएँ और दस्तावेज (प्रत्येक मानव-रहित विमान प्रणाली के परिचालन हेतु)		
19	मानव-रहित वायुयान प्रणाली की श्रेणी	<input type="checkbox"/> विमान <input type="checkbox"/> रोटारक्राफ्ट <input type="checkbox"/> हाइब्रिड

20	मानव-रहित वायुयान प्रणाली की उप-श्रेणी	<input type="checkbox"/> आरपीएएस <input type="checkbox"/> मॉडल <input type="checkbox"/> स्वायत्त
21	मानव-रहित वायुयान प्रणाली का वर्ग	<input type="checkbox"/> नैनो <input type="checkbox"/> सूक्ष्म <input type="checkbox"/> छोटे <input type="checkbox"/> मध्यम <input type="checkbox"/> बड़े
22	मॉडल का नाम	
23	विशिष्ट पहचान संख्या	
24	मानव-रहित वायुयान प्रणाली की विशिष्टताएँ	
भाग ड - कार्मिक ब्यौरे		
25	उत्तरदायी प्रबंधक के ब्यौरे	
26	प्रत्येक अनुदेशक के ब्यौरे	
भाग च - फीस ब्यौरे		
27	संव्यवहार संख्या	
28	फीस रसीद	

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि इस में दी गई सभी सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करूंगा। मुझे यह ज्ञात है कि इसमें मिथ्या सूचना प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध यथालागू दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम:

तारीख:

स्थान:

[फा.सं. एवी-29017/37/2021-एसडीआईटी-एमओसीए]

अम्बर दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2021

The Drone Rules, 2021

G.S.R. 589(E).—Whereas, the draft of the Drone Rules, 2021, which the Central Government had proposed to make in supersession of the Unmanned Aircraft System Rules, 2021, were published, as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation number G.S.R. 489 (E), dated the 15th July, 2021 in the Gazette of

India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th July, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the specified period;

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the draft rules within the period so specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5, sub-section (2) of section 10 and sections 10A, 10B and 12A of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Drone Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—(1) These rules shall apply to—

- (a) all persons owning or possessing, or engaged in leasing, operating, transferring or maintaining an unmanned aircraft system in India;
- (b) all unmanned aircraft systems that are registered in India; and
- (c) all unmanned aircraft systems that are being operated for the time being, in or over India.

(2) The provisions of the Aircraft Rules, 1937 shall not apply to unmanned aircraft systems except in case of an unmanned aircraft system with maximum all-up-weight of more than 500 kilograms;

(3) These rules shall not apply to an unmanned aircraft system belonging to, or used by, the naval, military or air forces of the Union of India.

3. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934);
- (b) “accident” means any accident associated with the operation of an unmanned aircraft system in which a person is fatally or seriously injured or where the unmanned aircraft system sustains significant damage or goes missing or is completely inaccessible;
- (c) “aeroplane” means any power-driven heavier than air aircraft machine deriving support for its lift in flight chiefly from aerodynamic reactions on surfaces which remain fixed under given conditions of flight;
- (d) “authorised remote pilot training organisation” means an organisation authorised by the Director General for the purpose of imparting training under rule 39;
- (e) “authorised testing entity” means an entity authorised by the Director General or the Quality Council of India for the purpose of testing unmanned aircraft system for type certification;
- (f) “Contracting State” means any country which is for the time being a party to the Convention on International Civil Aviation concluded at Chicago on 7th December 1944;
- (g) “digital sky platform” means the online platform hosted by the Directorate General of Civil Aviation for various activities related to the management of unmanned aircraft system activities in India;
- (h) “Director General” means the Director General of Civil Aviation appointed under section 4A of the Act;
- (i) “Drone” means an unmanned aircraft system;

- (j) “Drone acknowledgement number” means the unique number issued by the digital sky platform under the voluntary disclosure scheme for unmanned aircraft systems in India;
- (k) “Geo-fencing” means restricting the movement of unmanned aircraft system within a defined airspace;
- (l) “green zone” means the airspace of defined dimensions above the land areas or territorial waters of India, upto a vertical distance of 400 feet or 120 metre that has not been designated as a red zone or yellow zone in the airspace map for unmanned aircraft system operations and the airspace upto a vertical distance of 200 feet or 60 metre above the area located between a lateral distance of 8 kilometre and 12 kilometre from the perimeter of an operational airport:
- “yellow zone” means the airspace of defined dimensions above the land areas or territorial waters of India within which unmanned aircraft system operations are restricted and shall require permission from the concerned air traffic control authority. The airspace above 400 feet or 120 metre in the designated green zone and the airspace above 200 feet or 60 metre in the area located between the lateral distance of 8 kilometre and 12 kilometre from the perimeter of an operational airport, shall be designated as yellow zone;
- “red zone” means the airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of India, or any installation or notified port limits specified by the Central Government beyond the territorial waters of India, within which unmanned aircraft system operations shall be permitted only by the Central Government;
- (m) “hybrid unmanned aircraft” means a heavier-than-air unmanned aircraft capable of vertical take-off and landing which depends principally on power-driven lift devices or engine thrust for the lift during the flight regimes and on non-rotating airfoil for lift during horizontal flight;
- (n) “model remotely piloted aircraft system” means a remotely piloted aircraft system, with all-up weight not exceeding twenty-five kilograms, used for educational, research, design, testing or recreational purpose only and operated within visual line of sight;
- (o) “Operator” means a person engaged in, or offering to engage in, an operation involving an unmanned aircraft system;
- (p) “person” includes an individual, a company, a firm, an association of persons, a body of individuals, a local authority, the Central Government, the State Government and any legal entity, whether incorporated or not;
- (q) “prototype unmanned aircraft system” means an unmanned aircraft system developed for the purpose of research and development or obtaining a type certificate;
- (r) “Quality Council of India” is the autonomous body set up by the Government of India jointly with the Indian Industry in a public private partnership to establish and operate national accreditation structure and promote quality;
- (s) “remote pilot” means an individual charged by the operator with duties essential to the operation of an unmanned aircraft and who manipulates the flight controls, as appropriate, during flight time;
- (t) “remote pilot licence” means the licence issued by Director General to any individual under rule 34;
- (u) “remote pilot station” means the component of the remotely piloted aircraft system containing the equipment used to pilot the remotely piloted aircraft;

- (v) “remotely piloted aircraft” means an unmanned aircraft that is piloted from a remote pilot station;
- (w) “remotely piloted aircraft system” means a remotely piloted aircraft, its associated remote pilot stations, the required command and control links and any other components as specified in the type design;
- (x) “Rotorcraft” means a heavier-than-air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axes;
- (y) “type certificate” means a certificate issued by the Director General or any other entity authorised by the Director General, certifying that the unmanned aircraft system of a specific type meets with the requirements specified under these rules;
- (z) “type of unmanned aircraft system” means all unmanned aircraft systems of the same basic design including all modifications thereto, except those modifications which result in a change in handling or flight characteristics;
- (za) “Unique Identification Number” means the unique identification number issued for registering an unmanned aircraft system in India;
- (zb) “unmanned aircraft system” means an aircraft that can operate autonomously or can be operated remotely without a pilot on board;
- (zc) “Unmanned Aircraft System Traffic Management System” means a system that provides traffic management for safe and expeditious flow of unmanned aircraft traffic and avoids collision between manned and unmanned aircraft through the collaborative integration of persons, information, technology, facilities and services;

(2) The words and expressions used herein but not defined, and defined in the Aircraft Act, 1934 or in the Aircraft Rules, 1937 shall have the same meaning as assigned to them in the said Act or the rules.

PART II

CLASSIFICATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

4. Categorisation of unmanned aircraft system.—(1) The unmanned aircraft system shall be categorized into the following three categories, namely:—

- (a) aeroplane;
- (b) rotorcraft; and
- (c) hybrid unmanned aircraft system.

(2) The aeroplane, rotorcraft and hybrid unmanned aircraft system shall be further sub-categorised as follows:—

- (a) remotely piloted aircraft system;
- (b) model remotely piloted aircraft system; and
- (c) autonomous unmanned aircraft system.

5. Classification of unmanned aircraft systems.— The unmanned aircraft system shall, based on the maximum all-up weight including payload, be classified as follows:—

- (a) Nano unmanned aircraft system: weighing less than or equal to 250 grams;
- (b) Micro unmanned aircraft system: weighing more than 250 grams, but less than or equal to 2 kilograms;

- (c) Small unmanned aircraft system: weighing more than 2 kilograms, but less than or equal to 25 kilograms;
- (d) Medium unmanned aircraft system: weighing more than 25 kilograms, but less than or equal to 150 kilograms; and
- (e) Large unmanned aircraft system: weighing more than 150 kilograms.

PART III

CERTIFICATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

6. General.— No person shall operate an unmanned aircraft system in India unless such unmanned aircraft system conforms to a type certificate or is exempted from the requirement of a type certificate under these rules.

7. Certification standards.— The Central Government may, on the recommendation of the Quality Council of India, by notification in the Official Gazette, specify the standards for obtaining a type certificate for unmanned aircraft systems and such standards may promote the use of the following—

- (a) made-in-India technologies, designs, components and unmanned aircraft systems; and
- (b) Indian regional navigation satellite system, namely, Navigation with Indian Constellation.

8. Type certification.— The Director General or any entity authorised by the Director General in this behalf, may, on the recommendation of the Quality Council of India or an authorised testing entity, issue a type certificate for any particular type of unmanned aircraft system.

9. Application and procedure for issuance of type certificate.— (1) Any person, who intends to obtain a type certificate, shall make an application in Form D-1 on the digital sky platform along with the fee as specified in rule 46 and the following—

- (a) particulars of the applicant;
- (b) details and required documents in respect of the prototype unmanned aircraft system as specified therein; and
- (c) the prototype unmanned aircraft system shall be physically handed over to the authorised testing entity specified therein.

(2) The Quality Council of India or the authorised testing entity shall examine the proposal and submit the test report along with its recommendations to the Director General within sixty days from the date of receipt of the application.

(3) On the basis of test report along with the recommendations received under sub-rule (2), and on being satisfied, the Director General shall issue to the applicant a type certificate for the specific type of unmanned aircraft system within fifteen days of receiving such test report.

10. Acceptance of approvals given by foreign regulators.— On the basis of the approval granted to any type of unmanned aircraft system by such of the Contracting States, as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette, the Director General may issue type certification to that type of unmanned aircraft system.

11. Imports.— Import of unmanned aircraft systems shall be regulated by the Directorate General of Foreign Trade or any other entity authorised by the Central Government.

12. Mandatory safety features.— (1) The Central Government may, in future, by notification in the Official Gazette, specify safety features to be installed on an unmanned aircraft system by persons owning it, which may include among others, the following safety features, namely:—

- (a) 'No Permission – No Takeoff' hardware and firmware;
- (b) Real-time tracking beacon that communicates the unmanned aircraft system's location, altitude, speed and unique identification number; and
- (c) Geo-fencing capability.

(2) Every person who owns an unmanned aircraft system shall adopt safety features notified under sub-rule (1) within such period, not less than six months from the date of publication of such notification, as the Central Government may specify.

13. Exemption from obtaining type certificate in certain cases.— (1) No type certificate shall be required for manufacturing or importing an unmanned aircraft system.

(2) No type certificate shall be required for operating the following, namely:—

- (a) a model remotely piloted aircraft system; and
- (b) a nano unmanned aircraft system.

PART IV

REGISTRATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

14. General.— (1) No person shall operate an unmanned aircraft system without first registering it on the digital sky platform and obtaining a unique identification number, unless exempted from the requirement of a unique identification number under these rules.

(2) A registration record shall be maintained by the Director General of all such unmanned aircraft systems to which unique identification number has been issued under these rules.

(3) It shall be the responsibility of the person operating an unmanned aircraft system to ensure that such unmanned aircraft system conforms to a valid type certificate.

15. Application and procedure for registration.— (1) Any person who intends to register and obtain a unique identification number for his unmanned aircraft system shall make an application in Form D-2 on the digital sky platform along with the fee as specified in rule 46 and provide requisite details including the unique number of the type certificate to which such unmanned aircraft system conforms to.

(2) The digital sky platform shall verify the details and issue a unique identification number to the applicant.

(3) The unique identification number of an unmanned aircraft system shall be linked to the unique serial number provided by the manufacturer and the unique serial numbers of its flight control module and remote pilot station.

(4) No person shall replace the flight control module or remote pilot station of an unmanned aircraft system whose serial number is linked to such unmanned aircraft system's unique identification number, without first updating, on the digital sky platform, the unique serial number of the new flight control module or remote pilot station, within a period of seven days from the date of such replacement or before operating such unmanned aircraft system, whichever is earlier.

16. Registration of existing unmanned aircraft systems.— (1) A person owning an unmanned aircraft system manufactured in India or imported into India on or before the 30th day of November, 2021 shall, within a period of thirty one days falling after the said date, make an application to register and obtain a unique identification number for his unmanned aircraft system and provide requisite details in Form D-2 on the digital sky platform along with the fee as specified in rule 46.

(2) The digital sky platform shall verify the details furnished under sub-rule (1) and issue a unique identification number to the applicant, if the unmanned aircraft system—

- (a) has a valid Drone Acknowledgement Number issued by the digital sky platform on or before the date mentioned in sub-rule (1);
- (b) has a Goods and Service Tax paid invoice for the unmanned aircraft system; and
- (c) is part of the list of unmanned aircraft systems published on the digital sky platform by the Director General.

17. Transfer of unmanned aircraft systems.— (1) A person may transfer an unmanned aircraft system to another person by way of sale, lease, gift or any other mode, after providing requisite details of the transferor, transferee and unique identification number of the unmanned aircraft system in Form D-3 on the digital sky platform, along with the fee as specified in rule 46.

(2) A transfer referred to in sub-rule (1) shall be effected in the registration record maintained by the Director General and a transaction number shall be generated by the digital sky platform after electronic verification of the transferor, transferee and the unique identification number.

18. Deregistration of unmanned aircraft systems.— (1) Where an unmanned aircraft system registered in a person's name is either permanently lost or permanently damaged, he shall, on arriving at a reasonable conclusion that it is so lost or damaged, apply for deregistration of such unmanned aircraft system by submitting an application in Form D-3 on the digital sky platform along with the fee as specified in rule 46.

(2) The deregistration referred to in sub-rule (1) shall be effected in the registration record maintained by the Director General and a transaction number shall be generated by the digital sky platform.

PART V

OPERATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM

19. Airspace map.— The Central Government may, within thirty days of the date of notification of these rules, publish on the digital sky platform, an airspace map for unmanned aircraft system operations segregating the entire airspace of India into red zone, yellow zone and green zone, with a horizontal resolution equal or finer than 10 meters.

20. Interactive maps.— The airspace map for unmanned aircraft system operations shall be so designed as to be programmatically accessible through a machine readable Application Programming Interface and interactive so that unmanned aircraft system pilots shall be able to plot their proposed flight plan and easily identify the zone within which it falls so as to assess whether or not they need to make an application for prior approval.

21. Mandatory pre-flight verification of zonal restrictions.— Before commencing an unmanned aircraft system operation, a remote pilot shall mandatorily verify the digital sky platform for any notification or restriction applicable to unmanned aircraft system operations in the intended area of operation.

22. Requirement of prior permission.—(1) No person shall operate an unmanned aircraft system in a red zone or yellow zone without prior permission.

(2) No prior permission shall be required for operating an unmanned aircraft system in a green zone, subject to the provisions of rule 21.

23. Dynamic nature of zoning.— The Central Government may update the airspace map on digital sky platform for unmanned aircraft system operations from time to time in order to change the status of an area from one zone to another and such change shall come into effect no sooner than seven days after the date of such update.

24. Temporary Red Zone.— (1) If there is an urgent need to temporarily prohibit unmanned aircraft system flights in any specified area, the concerned State Government or the Union Territory Administration or a law enforcement agency may declare a temporary red zone over such specified area, for a period not

exceeding ninety six hours at a time, by notifying it through the digital sky platform and highlighting it on the airspace map.

(2) The temporary red zone shall be declared by an officer not below the rank of Superintendent of Police or his equivalent and such officer shall endeavour to keep the size of the temporary red zone reasonable and not excessive.

(3) An endeavour shall be made to inform, through digital sky platform or other electronic means, to all holders of unique identification number who are within a distance of five kilometre from the perimeter of the temporary red zone, of the restriction so declared under sub-rule (1), but in case no such information is received, it shall not absolve a remote pilot of the responsibility to verify the zonal restrictions on the digital sky platform before commencing an unmanned aircraft system operation.

25. Access to digital sky platform.—The nodal officers of State Governments, Union Territory Administrations and law enforcement agencies shall be provided direct access to the digital sky platform.

26. Safe operation.— No person shall operate an unmanned aircraft system in a manner, either directly or indirectly, as to endanger the safety and security of any person or property.

27. Prohibition on carriage of arms, ammunition, explosives and military stores, etc.— No person shall carry or cause or permit to be carried in any unmanned aircraft to, from, within or over India, any arms, ammunitions, munitions of war, implements of war, explosives and military stores, except with the written permission of the Central Government or any other person authorised by the Central Government in this behalf and subject to the terms and conditions of such permission.

28. Carriage of dangerous goods.— No person shall carry dangerous goods on unmanned aircraft unless such operation is in compliance with the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003.

29. Right of way.— No person operating an unmanned aircraft system shall violate the right of way of a manned aircraft and shall remain clear of all manned aircrafts.

30. Mandatory reporting of an accident.— No later than forty-eight hours after an accident involving an unmanned aircraft system takes place, the remote pilot of such unmanned aircraft system shall report the accident to the Director General through the digital sky platform.

PART VI

REMOTE PILOT LICENCE

31. General.— No individual other than a holder of a valid remote pilot licence enlisted on the digital sky platform shall operate an unmanned aircraft system.

32. Classification.— A remote pilot licence shall specifically mention the category, sub-category and classification of the unmanned aircraft system or a combination of these, for which it is issued.

33. Eligibility.—An individual shall be eligible to obtain a remote pilot licence, if he—

- (a) is not less than eighteen years of age and not more than sixty-five years of age;
- (b) has passed class tenth examination or its equivalent from a recognised Board; and
- (c) has successfully completed such training as may be specified by the Director General, from any authorised remote pilot training organisation.

34. Procedure for obtaining a remote pilot licence.— (1) Any individual, who desires to obtain a remote pilot licence for any category, sub-category or class of an unmanned aircraft system, or a combination thereof, shall complete the training specified by the Director General for such category, sub-category or class, and pass the tests conducted by the authorised remote pilot training organisation.

(2) Within seven days of successful completion of the training and passing of the tests under sub-rule (1), the authorised remote pilot training organisation shall make an application for remote pilot licence in Form D-4 on the digital sky platform along with the fee as specified in rule 46, providing details of the individual who has passed the test.

(3) The individual in respect of whom an application has been made by the authorised remote pilot training organisation under sub-rule (2) shall be issued a remote pilot certificate through digital sky platform.

(4) The Director General shall, within fifteen days from the date of issue of the remote pilot certificate under sub-rule (3), issue the remote pilot licence to such individual through the digital sky platform.

35. Validity of licence. – A remote pilot licence shall—

- (a) be valid only if it is enlisted on the digital sky platform;
- (b) unless suspended or cancelled, remain valid for a period of ten years;
- (c) be renewed by the Director General for such period as may be specified therein, subject to a maximum period of ten years, on payment of fee as specified in rule 46:

Provided that the holder of the remote pilot licence shall undergo such refresher course as may be specified by the Director General on the digital sky platform from time to time.

36. Exemption from obtaining licence.— No remote pilot licence shall be required for —

- (a) operating a nano unmanned aircraft system; and
- (b) operating a micro unmanned aircraft system for non-commercial purposes.

PART VII

REMOTE PILOT TRAINING ORGANISATION

37. General. – No person other than an authorised remote pilot training organisation shall impart training to an individual seeking a remote pilot licence.

38. Eligibility. – No remote pilot training organisation shall be authorised impart training unless it meets with the eligibility criteria as may be specified by the Director General.

39. Procedure for obtaining authorisation.— (1) Any person who intends to obtain the authorisation to establish a remote pilot training organisation shall submit an application to the Director General in Form D-5 on the digital sky platform, along with the fees as specified in rule 46.

(2) The Director General may, within sixty days of the date of receipt of application under sub-rule (1), issue the authorisation to establish a remote pilot training organisation to the applicant if he satisfies the specified criteria and meets with the requirements for establishing such remote pilot training organisation.

40. Validity.— An authorisation to establish a remote pilot training organisation shall, unless suspended or cancelled, remain valid for a period of ten years, and may be renewed for the period specified therein, subject to a maximum period of ten years at a time, on payment of fee as specified in rule 46.

41. Training requirements.— (1) An Authorised remote pilot training organisation shall ensure strict compliance with the requirements specified by the Director General on the digital sky platform in respect of training, syllabus, infrastructure, instructors, proficiency testing and issuance of remote pilot certificates.

(2) The training requirements specified under sub-rule (1) shall be specific to a category, sub-category and class of unmanned aircraft system.

PART VIII**RESEARCH, DEVELOPMENT AND TESTING**

42. Unmanned aircraft system operations for research, development and testing. – The following persons shall not require a type certificate, unique identification number, prior permission and remote pilot licence for operating unmanned aircraft systems for research, development and testing purposes, namely:—

- (a) any research and development entity under the administrative control of, or recognised by, the Central Government or State Government or Union Territory Administration;
- (b) any educational institution under the administrative control of, or recognised by, the Central Government or State Government or Union Territory Administration;
- (c) any Startup recognised by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade;
- (d) any authorised testing entity; and
- (e) any unmanned aircraft system manufacturer having a Goods and Service Tax Identification Number:

Provided that such unmanned aircraft system operations takes place within a green zone and within the premises of the person where such research, development and testing is being carried out or within an open area in a green zone under such person's control.

PART IX**UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM TRAFFIC MANAGEMENT**

43. Unmanned aircraft system traffic management.—(1) The Central Government may, within sixty days of the date of publication of these rules, publish a policy framework in respect of the Unmanned Aircraft System Traffic Management System on the digital sky platform.

(2) Such policy framework shall be in conformity with these rules, shall facilitate automated permissions as required under these rules and include—

- (a) the framework for developing corridors for safe and seamless transfer of goods by unmanned aircraft systems within and across zones; and
- (b) the roles, powers and responsibilities of the State Governments and Union Territory Administrations.

PART X**INSURANCE**

44. Insurance.—(1) The provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and rules made thereunder shall apply, *mutatis mutandis*, to the third party insurance of unmanned aircraft system and compensation in case of damage to life or property caused by such an unmanned aircraft system:

Provided that a nano unmanned aircraft system may operate without third party insurance.

(2) A person operating a unmanned aircraft system may use an insurance product specially designed for such operations, as and when such insurance product is approved by the Insurance Regulatory and Development Authority of India.

PART XI**UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM PROMOTION**

45. Unmanned aircraft system promotion.—(1) The Central Government may promote the adoption and use of unmanned aircraft systems by constituting an Unmanned Aircraft Systems Promotion Council, which shall facilitate—

- (a) development of a business-friendly regulatory regime, including automated permissions;

- (b) establishment of incubators and other facilities for the development of unmanned aircraft system technologies;
- (c) involvement of industry experts and academic institutions in policy advice; and
- (d) organising competitive events involving unmanned aircraft systems and counter-unmanned aircraft system technologies.

(2) The Central Government may, after evaluating these rules on the basis of economic impact, prepare a six-monthly report listing the achievements of the Indian unmanned aircraft system sector and the measures taken to further the ease of doing business in that sector.

PART XII

MISCELLANEOUS

46. Fee.— The fee payable for the services specified in column (2) of the Table below, rendered by the Central Government under these rules, shall be as specified in the corresponding column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No	Services	Fee (in Rupees)
(1)	(2)	(3)
1	Issuance of type certificate	100
2	Issuance, transfer or deregistration of unique identification number	100
3	Issuance or renewal of remote pilot licence	100
4	Authorisation or renewal of authorisation of remote pilot training organisation	1,000

Note.— The Quality Council of India, authorised testing entities and authorised remote pilot training organisations may collect market-linked service charges for the services rendered by them in accordance with these rules.

47. Directions.— Where the Central Government deems it necessary, it may, not inconsistent with the provisions of the Act, or these rules, issue a general or special direction related to unmanned aircraft systems.

48. General power to exempt.— The Central Government may, by a general or special order in writing, exempt any person or class of persons from the operation of these rules, either wholly or partially, subject to such conditions, as may be specified in that order.

49. Offences, classification and compounding.—(1) No person shall carry out any activity in contravention of these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the contravention of rule 22 and rule 27 shall be cognizable and non-compoundable.

(3) It shall be a defence to any proceeding for contravention of, or failure to comply with, these rules, if such contravention or failure is proved to have been caused due to factors or circumstances, such as stress of weather or other unavoidable cause or circumstances, beyond the control of such person or without his knowledge or fault.

(4) The provisions of these rules shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law, for the time being in force.

50. Penalties.— Where, after giving an opportunity of being heard, the Director General or an officer authorised by the Central Government or a State Government or Union Territory Administration, is satisfied that a person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may, for reasons to be recorded in writing, levy a penalty not exceeding rupees one lakh in accordance with the provisions of section 10A of the Act.

51. Power to inspect.— The Director General, or any person authorised by him, by general or special order in writing, may inspect any unmanned aircraft system, any related facility, interact with any personnel, and inspect any document or record for the purpose of securing compliance with these rules and the provisions of the Act.

52. Obstruction of authorised persons.— No person shall voluntarily obstruct any person acting in the exercise of his powers or in the discharge of his duties under these rules.

53. Cancellation or suspension.— Where the Director General, after giving an opportunity of being heard, is satisfied that a person has contravened or failed to comply with the provisions of these rules, he may, for reasons to be recorded in writing, cancel or suspend any licence, certificate, authorisation or approval granted under these rules.

54. Saving of certain orders.— Nothing in these rules shall limit or otherwise affect the power of the Central Government with regard to any order issued in the interest of public safety or for safe operation of all manned or unmanned aircraft.

55. Repeal and saving.— The Unmanned Aircraft System Rules, 2021 stand repealed, except as respects things done or omitted to be done before such repeal.

FORM D-1 (See rule 9)		
APPLICATION FOR TYPE CERTIFICATE		
Part A - Details of individual (if applicable)		
1	Full name	
2	Mobile number (linked to the Aadhaar number)	
3	E-mail address	
4	Aadhaar number	
5	Indian passport number	
6	Permanent account number (optional)	
7	Residential address	
Part B - Details of organisation (if applicable)		
8	Name of the manufacturer	
9	Address of the manufacturer	
10	Registration number of organisation	

11	GSTIN certificate (optional)	
12	Name of the Director(s) with their DIN	
13	Aadhaar number of one Director	
14	E-mail address of the Director	
15	Mobile number of the Director (linked to the Aadhaar number)	
Part C - Unmanned aircraft system specifications and documents		
16	Model name	
17	Category of UAS	<input type="checkbox"/> Aeroplane <input type="checkbox"/> Rotorcraft <input type="checkbox"/> Hybrid
18	Sub-category of UAS	<input type="checkbox"/> RPAS <input type="checkbox"/> Model <input type="checkbox"/> Autonomous
19	Class of UAS	<input type="checkbox"/> Nano <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large
20	Specifications of flight control module	
21	Specifications of remote pilot station	
22	Maximum all-up-weight (including payload) in kg	
23	Overall dimensions (l x b x h) in mm	
24	Description	
25	Details of compatible payload	
26	Variable load / consumables (like fluid etc., if any)	
27	Engine/ Motor	
28	Power rating	
29	Number of engines/ motors	
30	Total fuel capacity (kg)/ Battery capacity (mAh)	
31	Propeller details	
32	Ground control station software version	
33	Frequency band	
34	Maximum endurance	
35	Maximum range (in km)	
36	Maximum speed (in m/s)	
37	Maximum height attainable/ Maximum ceiling height (in feet)	
38	Operating altitude (in feet)	
39	Operational envelope	

40	Engine limits (maximum RPM) / Maximum battery temperature (in °C)	
41	Propeller limits	
42	Manufacturer's operating manual (as applicable)	
43	Manufacturer's maintenance guidelines (as applicable)	
44	Maintenance inspection schedule / Overhaul interval	
45	Photographs of the unmanned aircraft system: a) Front view b) Top view	
46	Select authorised testing entity (from dropdown menu on digital sky platform)	
Part D - Fee details		
47	Transaction number	
48	Fee receipt	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge. I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name:

Date:

Place:

FORM D-2 (See rule 15 and 16)		
APPLICATION FOR REGISTRATION OF UNIQUE IDENTIFICATION NUMBER		
Part A - Details of individual (if applicable)		
1	Full name	
2	Mobile number (linked to the Aadhaar number)	
3	E-mail address	
4	Aadhaar number	
5	Indian passport number	
6	Permanent account number (optional)	

7	Residential address	
Part B - Details of organisation (if applicable)		
8	Name of the organisation	
9	Address of the organisation	
10	Registration number of organisation	
11	GSTIN certificate (optional)	
12	Name of the Director(s) with their DIN	
13	Aadhaar number of one Director	
14	E-mail address of the Director	
15	Mobile number of the Director (linked to the Aadhaar number)	
Part C - Unmanned aircraft system specifications		
16	Category of UAS	<input type="checkbox"/> Aeroplane <input type="checkbox"/> Rotorcraft <input type="checkbox"/> Hybrid
17	Sub-category of UAS	<input type="checkbox"/> RPAS <input type="checkbox"/> Model <input type="checkbox"/> Autonomous
18	Class of UAS	<input type="checkbox"/> Nano <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large
19	Manufacturer's name	
20	Model name	
21	Serial number of type certificate (if applicable)	
22	Serial number provided by manufacturer	
23	Serial number of flight control module	
24	Serial number of remote pilot station	
25	Photographs of the unmanned aircraft system: a) Front view b) Top view c) Close-up of manufacturer's serial number	
26	Drone Acknowledgement Number (DAN) (if applicable)	
27	Upload GST-paid invoice (Only for DAN holders)	

Part D - Fee details

28	Transaction number	
29	Fee receipt	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge. I further declare that this unmanned aircraft system conforms to the type certificate mentioned in the form (if applicable). I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name:

Date:

Place:

FORM D-3 (See rules 17 and 18)		
APPLICATION FOR TRANSFER OR DEREGISTRATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS		
Part A – Unmanned aircraft system details		
1	Unique identification number (UIN)	
2	Model name	
3	All up weight	
Part B – Transferor/ Owner details		
4	Full name of individual or organisation	
5	Aadhaar number (for individual)	
6	Indian passport number(for individual)	
7	E-mail address	
8	Mobile number linked to the Aadhaar number	
9	Address	
10	Permanent account number (optional)	
11	GSTIN certificate (optional)	
12	Nature of transaction	<input type="checkbox"/> Transfer <input type="checkbox"/> Deregistration (Skip to Part D)
13	Nature of transfer (if applicable)	<input type="checkbox"/> Sale <input type="checkbox"/> Lease <input type="checkbox"/> Gift <input type="checkbox"/> Others

Part C – Transferee details (if applicable)		
Details of individual (if applicable)		
14	Full name	
15	Mobile number (linked to the Aadhaar number)	
16	E-mail address	
17	Aadhaar number	
18	Indian passport number	
19	Permanent account number (optional)	
20	Residential address	
Details of organisation (if applicable)		
21	Name of the organisation	
22	Address of the organisation	
23	Registration number of organisation	
24	GSTIN certificate (optional)	
25	Name of the Director(s) with their DIN	
26	Aadhaar number of one Director	
27	E-mail address of the Director	
28	Mobile number of the Director (linked to the Aadhaar number)	
Part D – Deregistration details (if applicable)		
29	Reason for deregistration	<input type="checkbox"/> Permanently lost <input type="checkbox"/> Permanently damaged
Part E – Fee details		
30	Transaction number	
31	Fee receipt	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge. I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name:

Date:

Place:

FORM D-4		
(See rules 34 and 35)		
APPLICATION FOR REMOTE PILOT LICENCE (TO BE FILED BY RPTO)		
Part A - Details of individual		
1	Full name	
2	Date of birth (DD MMM YYYY)	
3	Latest photograph	
4	Aadhaar number	
5	Indian passport number	
6	E-mail address	
7	Phone number	
8	Residential address	
Part B - Training details		
9	Name of the training organisation	
10	DGCA authorisation number of training organisation	
11	Category of UAS	<input type="checkbox"/> Aeroplane <input type="checkbox"/> Rotorcraft <input type="checkbox"/> Hybrid
12	Sub-category of UAS	<input type="checkbox"/> RPAS <input type="checkbox"/> Model <input type="checkbox"/> Autonomous
13	Class of UAS	<input type="checkbox"/> Nano <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large
14	Training certificate number issued by RPTO	
Part C - Fee details		
15	Transaction number	
16	Fee receipt	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge. I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name:

Date:

Place:

FORM D-5 (See rules 39 and 40)		
APPLICATION FOR AUTHORISATION OF REMOTE PILOT TRAINING ORGANISATION		
Part A - Details of individual or head of the organisation		
1	Full name	
2	Mobile number (linked to the Aadhaar number)	
3	E-mail address	
4	Aadhaar number	
5	Indian passport number	
6	Permanent account number (optional)	
7	Residential address	
Part B - Organisation details		
8	Name of the organisation	
9	Address of the organisation	
10	Registration number of organisation	
11	GSTIN certificate (optional)	
12	Name of the Director(s) with their DIN	
13	Aadhaar number of one Director	
14	E-mail address of the Director	
15	Mobile number of the Director (linked to the Aadhaar number)	
Part C – Infrastructure		
16	Proof of land ownership or rental agreement	
17	Number of classrooms	
18	Total area of the classrooms	
Part D - Unmanned aircraft system specifications and documents (For each operational unmanned aircraft system)		
19	Category of UAS	<input type="checkbox"/> Aeroplane <input type="checkbox"/> Rotorcraft <input type="checkbox"/> Hybrid

20	Sub-category of UAS	<input type="checkbox"/> RPAS <input type="checkbox"/> Model <input type="checkbox"/> Autonomous
21	Class of UAS	<input type="checkbox"/> Nano <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Small <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Large
22	Model name	
23	Unique identification number	
24	Unmanned aircraft system specifications	
Part E - Personnel details		
25	Details of accountable manager	
26	Details of each instructor	
Part F - Fee details		
27	Transaction number	
28	Fee receipt	

DECLARATION

I hereby declare that all information provided herein are true and correct to the best of my knowledge. I shall ensure full compliance with the training requirements specified by the Directorate General of Civil Aviation. I understand that furnishing any false information herein shall make me liable for penal action, as applicable.

Name:

Date:

Place:

[F. No. AV-29017/37/2021-SDIT-MoCA]

AMBER DUBEY, Jt. Secy.